



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक—जे0एन0सी0यू0 / आर0कैम्प(सा0प्र0) / 1574/2020

दिनांक: 27 जून, 2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त महाविद्यालय,

सम्बद्ध महाविद्यालय जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषय:—शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं का आवेदन पत्र भरने आदि के सम्बन्ध में समय सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जिलाधिकारी बलिया के संलग्न पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों द्वारा पत्र के साथ संलग्न समय सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति आवेदन किये जाने हेतु समय सारिणी निर्गत की गई है।

तदक्रम, मैं यह अनुरोध है कि संलग्न समय-सारिणी से छात्र/छात्राओं को अपन स्तर से सूचित करते हुए तदनुसार अपने स्तर से कार्यावाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:—जिलाधिकारी का पत्र,

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:—माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ,

कुलसचिव

पता:—शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला—बलिया, उ0प्र0 पिन कोड:—277001

Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001

Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

कार्यालय जिलाधिकारी, बलिया।

पत्रांक- 22 / पि0व0क0/ छात्रवृत्ति/2020-21

दिनांक 23 जून, 2020

जिला विद्यालय निरीक्षक
बलिया।

विषय- शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 9-10, कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं का आवेदन पत्र भरने आदि के सम्बन्ध में समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ के संलग्न छायाप्रति शासनादेश संख्या-83/2020/1333/26-3-2020-4(215)/90टी0सी0111 दिनांक 15 जून, 2020 एवं शासनादेश संख्या-84/2020/1332/26-3-2019-4 (358)/07टी0सी0111 दिनांक 15 जून, 2020 एवं निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-208 एवं 209 दिनांक 16 जून, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त शासनादेश के अन्तर्गत दिये गये समय-सारणी में जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करते हुये कक्षा 09-10 के शिक्षण संस्थाओं के कक्षाओं हेतु दिनांक 06 जुलाई, 2020 से 30 जुलाई, 2020 तक एवं कक्षा 11-12 के संस्थाओं तथा अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने की कार्यवाही एवं मास्टर डाटा को अपडेट करते हुए डिजीटल सिग्नेचर से प्रमाणित किया जाना है। छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र बेवसाइट Scholarship.up.nic.in पर भरा जाना है, एवं फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को प्रदर्शित किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र-छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर विलम्बतम संस्थाओं एवं अन्य कक्षाओं का जमा किया जायेगा। छात्र-छात्राओं द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थाओं द्वारा कक्षा 11-12 तथा अन्य दशमोत्तर कक्षाओं को दिनांक 02 अगस्त, 2020 से 19 नवम्बर, 2020 तक ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में जनपद के समस्त पूर्वदशम्/दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं एवं छात्रों को उपरोक्त समय-सारणी से सूचित करते हुये छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार करते हुये निर्धारित समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(श्रीहरि प्रताप शाही)
जिलाधिकारी
बलिया

पत्रांक व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुल सचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के समस्त महाविद्यालयों को सूचित करते हुये समस्त दैनिक समाचार पत्र में प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उप्र लखनऊ।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, बलिया।

जिलाधिकारी
बलिया

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 209 / पि०व०क० / 2020-21,
विषय-

लखनऊ : दिनांक 16 जून, 2020

वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण तक की निर्गत समय-सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 शासनादेश संख्या-84/2020/1332/26-3-2020-4(358)/07टी.सी.।।। दिनांक 15 जून, 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन करने से लेकर वितरण तक की समस्त कार्यवाही सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित कराये जाने हेतु विस्तृत समय-सारिणी जारी की गयी है।

अतः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 15 जून, 2020 द्वारा निर्गत समय-सारिणी की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का निर्धारित समयान्तर्गत क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

Su
16.6.2020
(डा० वन्दना वर्मा)
निदेशक।

पु०सं० / 209 / पि०व०क० / 2020-21 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अपर प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2
- 2- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ०प्र० को समस्त राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 3- निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र०।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार निर्गत समय-सारिणी के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने मण्डल के सम्बन्धित जनपदों के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

Su
16.6.2020
(डा० वन्दना वर्मा)
निदेशक।

96

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 15 जून 2020

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-177/स०क०/शिक्षा-अ/07/28/2020-21, दिनांक-04.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं बाह्य प्रदेशों में (केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त) संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2020-21 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।

3- इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020-21)
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएँ) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/अपलोड करके डिजिटल	01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक

	हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करना।	
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नारायण रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना। (नोट-राज्य से बाहर की नवीन संस्थायें पासवर्ड के लिये 31 अगस्त 2020 तक ही आनलाइन आवेदन कर सकती हैं।)	01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक
1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	01 जुलाई 2020 से 18 सितम्बर 2020 (नोट-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर सकती हैं।)
2.	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना।	01 सितम्बर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक
2ए	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	21 सितम्बर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का	16 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक

ऑनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।		
प्रशिक्षण छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिक्रिया - समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित कार्यक्रम एवं कक्षा 11-12 के छात्रों हेतु		
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। (ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा।)	01 अगस्त से 25 अगस्त 2020 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हार्डस्कैन, इन्टरनेट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेवशन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल रिजल्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा संबंधित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर विलम्बतम 01 सितम्बर 2020 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के सनत्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। (नोट-02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को ही 02 अक्टूबर 2020 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया जायेगा।)	02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एकेडमिक एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, वस्तुविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना।	15 सितम्बर 2020 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एनआईटीसी की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों के लिये)	08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2020 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के शुद्ध (Correct) छात्र/छात्राओं के लिये)	16 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 तक

12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सुजित कराना।	30 सितम्बर 2020 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार के ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	01 अक्टूबर 2020 तक
14	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम आयोजित करना	02 अक्टूबर 2020 को
कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु		
15	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना।	01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक
16	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हार्डस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
17	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 12 नवम्बर 2020 तक
18	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना।	02 अगस्त से 19 नवम्बर 2020 तक
19	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना।	30 नवम्बर 2020 तक
20	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	20 नवम्बर 2020 से 10 दिसम्बर 2020 तक
21	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	11 दिसम्बर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक
22	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक

23	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 24 दिसम्बर 2020 तक
24	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, संतुष्टि एवं अग्रसारित करना।	12 दिसम्बर 2020 से 28 दिसम्बर 2020 तक
25	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	29 दिसम्बर 2020 से 06 जनवरी 2021 तक
26	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी/के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	07 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2021 तक
27	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	23 जनवरी 2021 तक
28	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तर्गत किया जाना।	25 जनवरी 2021 तक
29	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम आयोजित करना।	26 जनवरी 2021 को

नोट:-

- 1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 2- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared ऑप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में सन्देहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 3- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः 07 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 02 अगस्त 2020 से 02 नवम्बर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।

- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल अपलोड करेंगे।
- 6- उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुये विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

मुख्य सचिव

पृ0सं- ⁸⁴ ~~83~~ / 2020 / 1332(1) / 26-3-2020 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)

प्रमुख सचिव।